फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 159/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/207)
श्रीमती धुलीकुंवर राजपूत व अन्य बनाम श्री वगतसिंह राजपूत</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>05.12.2024</td><td>उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री दिनेश जैन, परमेश्वर पंड्या - वकील अपीलार्थी
2. श्री मंजु जणवा - वकील प्रत्यर्थी

अनवान
1. श्रीमती धुलीकुंवर पति श्री गौतमसिंह राजपूत, निवासी बामनिया, वागावतवाड़ा, तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
2. श्री जोरावरसिंह पिता श्री गौतमसिंह राजपूत, निवासी बामनिया, वागावतवाड़ा, तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
3. श्री तेजसिंह पिता श्री भेरूसिंह राजपूत, निवासी बामनिया, वागावतवाड़ा, तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
4. श्रीमती नवलकुंवर बेवा श्री तखतसिंह राजपूत, निवासी बामनिया, वागावतवाड़ा, तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
अपीलार्थी
बनाम
1. श्री वगतसिंह पिता श्री वालसिंह राजपूत, निवासी बामनिया, वागावतवाड़ा, तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2024

<u>निर्णय</u>

दिनांक 05.12.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

• वर्तमान अपील के अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर के समक्ष ग्राम पंचायत बामनिया तहसील सलूम्बर के इन्तकाल संख्या 1166 फैसल दिनांक 18.12.1976 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर द्वारा उक्त अपील साबित नहीं होने से अपने निर्णय दिनांक 01.07.2024 से खारिज की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर द्वारा उक्त निर्णय से व्यथीत होकर हस्तगत अपील न्यायालय हाजा समक्ष अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 14.11.2024 को उभय पक्ष के अधिवक्तागण मय पक्षकारान द्वारा एक राजीनामा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि पक्षकारान के मध्य मौजा राजस्व गावं वागावतवाड़ा पटवार हल्का बामनिया तहसील सलूम्बर के आराजी संख्या 4515/1 रकबा 0.07 हैक्टर व 4520/1 रकबा 0.80 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.87 हैक्टर भूमि के संबंध में विवाद अब सभी पक्षकारान में समझौता हो गया है</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 159/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/207) **श्रीमती धुलीकुंवर राजपूत व अन्य बनाम श्री वगतसिंह राजपूत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं सभी पक्षकारान को उक्त राजीनामा से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामें को तस्दीक कर राजीनामें के आधार पर 0.37 हैक्टर भूमि तेजसिंह पिता श्री भेरूसिंह राजपूत के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावें एवं शेष भूमि 0.50 हैक्टर भूमि प्रत्यर्थी श्री वगतसिंह के नाम की रहेगी। अतः राजीनामा को तस्दीक कर राजीनामा अनुसार प्रकरण को फैसलशुमार किया जावे। दिनांक 04.12.2024 को अधिवक्तागण पुनः उपस्थित होकर राजीनामा अनुसार प्रकरण को फैसलशुमार किये जाने का अनुरोध किया। हमने उभय पक्षों के अधिवक्तागण की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मूल्यांकन किया। उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो जाने के कथन एवं आदेश 23 नियम 1, 2 व 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के मद्देनजर रखते हुए हम यह उचित समझते है कि अपील के गुणावगुणों पर किसी प्रकार का विवेचन किये बिना उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर का निर्णय दिनांक 01.07.2024 निरस्त किया जाकर मूल प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर को राजीनामा की वैधानिकता की जांच कर पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के प्रार्थनापत्र दिनांक 14.11.2024 की वैधानिकता की जांच कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। उक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह अपील पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से राजीनामा के आधार पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ राजीनामा प्रार्थना-पत्र की मूल प्रति उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर को भिजवायी जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	